मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 31 / 10 /2022

क्र. एफ 16-54 /2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स ट्राईडेन्ट ग्रुप द्वारा बुदनी, जिला सीहोर में रूपये 547.84 करोड़ के कुल पूंजी निवेश (प्लांट, मशीनरी एवं भवन में प्रस्तावित निवेश राशि रूपये 239.25 करोड) से स्थापित बेडशीट निर्माण परियोजना में विस्तार संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2202260001) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जाये-

1. **ब्याज अनुदान-** उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) के प्रावधान अनुसार टेक्सटाईल्स उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता अन्तर्गत भारत सरकार की टफ स्कीम में वस्त्र मंत्रालय के संकल्प क्रमांक 06.04.2007- सी 71, नई दिल्ली नवम्बर, 2007 में वर्णित टफ अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये गये टर्म लोन पर ब्याज अनुदान शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

2. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति-** परियोजना में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी नवीन कर्मचारियों (नियमित एवं कन्ट्रैक्ट कर्मचारियों सहित) को प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में 4 माह तक 50% वेतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये 1 लाख तक की जाये। उक्त सुविधा की प्रतिवर्ष सीमा अधिकतम रुपये 1 करोड़ होगी तथा सहायता अवधि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्ष तक होगी।

3. **रोजगार सृजन अनुदान-** परियोजना अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से प्रथम 8 वर्षों में नियुक्त किये गये प्रति महिला कर्मचारी रूपये 6000 प्रतिमाह एवं प्रति पुरूष कर्मचारी रूपये 5000 प्रतिमाह रोजगार सृजन अनुदान 7 वर्ष हेतु प्रदान किया जाये। उक्त सहायता की अधिकतम अवधि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्ष तक होगी अर्थात 8वें वर्ष में नियुक्त किये गये कर्मचारी को मात्र 2 वर्षों हेतु ही रोजगार सृजन अनुदान प्राप्त होगा।

4. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग सवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता पात्रता अनुसार शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

5. **विद्युत शुल्क से रियायत-** इकाई द्वारा स्थापित विद्युत कनेक्शन पर परियोजना हेतु लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्ष हेतु 0.25 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क प्रभारित किया जाये।

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधा का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

निरंतर ....

7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. एफ 16-54 /2022/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 31/10/2022

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स ट्राईडेन्ट ग्रुप, ई - 212, किचलू नगर, लुधियाना - 141001 (पंजाब)।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग